न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 76 / 2019

1 बीरबल पुत्र भीमा
2 सम्पत्ति वेवा रतन
3 सुगरसिंह पुत्र रतन
जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम मौजा मौरोली तहसील बयाना जिला भरतपुर
.......प्रार्थीगण

बनाम

फिरंगी पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौजा मौरोली तहसील बयाना
.......अप्रार्थी

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खिलाफ एस0डी0ओ0 बयाना उनवानी फिरंगी बनाम बीरबल वगै0 दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 26.09.2019

————————

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थीगण ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार मीना के पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी का एक मुकदमा फिरंगी बनाम बीरबल वगै0 88,89,188 आर0टी0ए0 का उपखण्ड अधिकारी बयाना की अदालत में चल रहा था जिसमें बहस भी हो चुकी है । अब वह आदेश दिनांक 26.09. 2019 के लिए नियत है । प्रार्थीगण को गांव के मुख्य दो– तीन व्यक्तियों ने कहा है कि आप लोग मुकदमा हार गए हैं और यह बात फिरंगी ने गांव के व्यक्तियों को बताई है । फिरंगी ने हाकिम के जरिये उपखण्ड अधिकारी श्री संतोष कुमार मीना से रकम के लेन देन की बात करली है । मुकदमा फिरंगी के पक्ष में निस्तारण होगा । इस कारण उपखण्ड अधिकारी बयाना श्री संतोष मीना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है । इसी प्रकार एक दूसरा मुकदमा फिरंगी बनाम बीरबल वगै0 धारा 188 आर0टी0ए0 भी चल रहा है । दोनों का आदेश दिनांक 26.09.2019 को होना है । प्रार्थीगणगण ने दोनों ही मुकदमों को भरतपुर जिले की किसी अन्य राजस्व अदालत में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलव किया गया । उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलव की गई । अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली हैं ।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई । उनके द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.11.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी तथा दिनांक 10.12.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी भी पेश किये गए हैं जो निस्तारण से शेष हैं । अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी तीनों का ही एक साथ निस्तारण किया जा रहा है ।

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 के द्वारा अभिवचन में संशोधन नहीं चाहा है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा मात्र अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी खारिज किया जाता है । इसी प्रकार प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 भी पोषणीय नहीं है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अपील में ही पेश किया जा सकता है । इस प्रकार के प्रार्थना पत्र का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहता है । अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है । प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों ही प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बित करने के लिए प्रस्तुत किये गए है ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मृतक फिरंगी के विरूद्ध पेश किया गया है जबकि फिरंगी की मृत्यु कई साल पूर्व हो चुकी है । कानूनन मृतक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगााऐ गए आरोपों की बावत ऐसी कोई भी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन मनगढ़न्त व काल्पनिक प्रतीत होते हैं । प्रार्थीगण द्वारा दावा को लम्बा करने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:27:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: